

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
30/12/24		पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में अलग है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/10/24 को पेश हों।
18/10/24		पत्रावली के डी.डी. प्राणी व उनके मुफ्त में उपस्थित नहीं वरन् गंगालत प्राणी व उनके अधिवक्ता के बार-बार हाथ में लाया जा रहा है। उक्त डी.डी. से नोट नही उपस्थित नहीं होने से प्राणी व उनके अधिवक्ता को गंगा राजा के प्राणी के स्वामित्व विषय ज्ञात है। पत्रावली केसब अन्तर्गत डी.डी. के नोट नही होने से प्राणी व उनके अधिवक्ता को गंगा राजा के प्राणी के स्वामित्व विषय ज्ञात है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर



रीडर
 मूल वाद
 + एडव.
 जयपुर
 3
 जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
 सांगानेर जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 90/2016

नन्द किशोर वगै० बनाम रामगुलाब वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.

वास्ते पुलिस सहायता प्रदान किये जाने

श्रीमान्जी,

प्रार्थना पत्र की ओर से निम्न निवेदन हैं :-

1. यह कि उक्त उनवानी वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17-6-2016 को स्वीकार किया गया तथा मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर तहसीलदार सांगानेर को कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश पारित किया गया जिसमें वास्ते इन्तजार कुरेजात रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी 30-11-2016 नियत हैं।
2. यह कि उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 109/2015 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17-6-2016 को निम्न आदेश पारित किया गया कि "पत्रावल राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई वकुलाय फरीकेन उपस्थित हैं इस

Practising

